

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.235)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2022/डी- 168

दिनांक : 13.6.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 235वीं बैठक दिनांक 03.06.2022 का कार्यवाही विवरण

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	235.1	कार्यकारी समिति की 234वीं बैठक दिनांक 21.02.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 234वीं बैठक दिनांक 21.02.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर संतोष प्रकट किया गया।	सचिव
2.	235.2	ईवेन्ट मैनेजमेन्ट से संबंधित व्यवस्थाओं पर हुये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	ईवेन्ट मैनेजमेन्ट से संबंधित व्यवस्थाओं पर हुये व्यय का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	उपायुक्त (स्टोर)
3.	235.3	दो अभियांत्रिकी निदेशकगण का कार्य प्राधिकरण के दो वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को देने बाबत। SOP में किये गये संशोधन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।	दो अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ का कार्य प्राधिकरण के दो वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को देने बाबत SOP में किये गये संशोधन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	निदेशक (वित्त)
4.	235.4	आई.पी.डी. टॉवर एवं हृदय रोग संस्थान के शिलान्यास समारोह हेतु ईवेन्ट मैनेजमेन्ट से संबंधित व्यवस्थाओं की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान बाबत।	आई.पी.डी. टॉवर एवं हृदय रोग संस्थान के शिलान्यास समारोह हेतु ईवेन्ट मैनेजमेन्ट से संबंधित व्यवस्थाओं की निविदा की उपापन समिति की अनुशंसा अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान करने की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	उपायुक्त (स्टोर)
5.	235.5	Post Facto Approval of tender for the work of "Strengthening and Widening of road for Four laning work of Ramgarh road (SH-55) from Sadwa Mode (NH-11C) to Nayla Mode, Zone -13. JDA. Jaipur. "	इस टेन्डर कार्य का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	निदेशक (अभियांत्रिकी द्वितीय)

6.	235.6	Ex-Post Facto Approval of Bid Document for the work "Construction of Guest House at Rajasthan International Centre Campus, Jhalana Doongri, Jaipur (Phase-I)" on Engineering, Procurement & Construction (EPC) basis	राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर कैम्पस, झालाना डूंगरी, जयपुर के बीड डाक्यूमेन्ट का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	निदेशक (अभियान्त्रिकी तृतीय)
7.	235.7	जविप्रा के विभिन्न न्यायलयों में पैरवी हेतु नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं को देय फीस के निर्धारण बाबत।	जविप्रा के विभिन्न न्यायालयों के पैनल अधिवक्ताओं को देय फीस की दरों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	निदेशक (विधि)
8.	235.8	फर्स्ट इंडिया, अंग्रेजी समाचार पत्र की वाणिज्यिक दर निर्धारण एवं जविप्रा में सूचीबद्ध किए जाने की कार्यकारी समिति से कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	फर्स्ट इंडिया, अंग्रेजी समाचार पत्र की वाणिज्यिक दर एवं सूचीबद्ध किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	जनसंपर्क अधिकारी
9.	235.9	Ex-post facto approval of following for the work of " Detailed Design, Content development, Exhibit construction, Testing and Commissioning of GANDHI DARSHAN MUSEUM at Central Park, Jaipur: (i) Minutes of pre-bid meeting for the work held on 09.03.2022. (ii) Extending the last date of submission of bid (second time) for the work on request of interested bidders.	गांधी दर्शन म्यूजियम के इस कार्य का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	निदेशक (अभियान्त्रिकी तृतीय)

10.	235.10	प्राधिकरण की विभिन्न संवर्ग की सम्पूर्ण केडर स्ट्रेन्थ का रिव्यू कर वर्तमान आवश्यकता के आधार पर केडर स्ट्रेन्थ पुनः निर्धारित किये जाने के संबंध में।	केडर स्ट्रेन्थ के रिव्यू के प्रस्तुत प्रस्तावों को पुनः समीक्षा कर आगामी बैठक में रखें।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
11.	235.11	Ratification of Bid document, Eligibility criteria, Scope of work, PreBid minutes and tender for the work of "Construction of IPD Tower and Institute of Cardio-vascular sciences building at SMS Hospital, Jaipur on Engineering, Procurement & Construction (EPC) basis".	SMS अस्पताल में IPD टॉवर व कार्डियकेयर संस्थान के बीड डाक्यूमेन्ट्स कार्य का कार्यान्वयन अनुमोदन किया गया।	निदेशक (अभियान्त्रिकी प्रथम)
12.	235.12	राजस्व ग्राम जगन्नाथपुरा के प्रार्थीगणों को मूल राशि का भुगतान किया जाना है, या अवार्ड तिथि से अब तक ब्याज सहित मुआवजा दिया जाना है अथवा वर्तमान बीएसआर से दिया जाने हेतु निर्णयार्थ।	ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील आमेर के खसरा नम्बर-478,479,491,493, से 496,501,502,492,497,500,499,483 से 490 की अवाप्त भूमि का तत्काल कब्जा प्राप्त करे, ऐसे अन्य प्रकरणों सहित आगामी बैठक में रखे।	उपायुक्त जोन-13
13.	235.13	जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तों) विनियम 1984 में सीधी भर्ती नियमों में संशोधन करने बाबत।	सम्पूर्ण भर्ती नियमों के संशोधन के साथ आगामी बैठक में रखे।	अति.आयुक्त (प्रशासन)
14.	235.14	Regarding splitting of Defect Liability Period of six lane ROB and Limited Height Subway under the work of "Construction of six lane Road Over Bridge with LHS including Electrification work on LC-211, at Goner Road, Dantli Village, Jaipur".	इस प्रकरण में सचिव जविप्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी है जिसमें निदेशक (विधि) / (आयोजना) / वित्त एवं अभियान्त्रिकी को सदस्य समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखेगे।	निदेशक (अभियान्त्रिकी तृतीय)

15.	235.15	Agenda note for Ex-Post-Facto approval of negotiation and tender for the work of "Providing, Laying and Jointing of Main Trunk Sewer Line of Size 1200 mm dia with construction of Manholes for Prithviraj Nagar (North) area under Package-II of Phase-I, JDA, Jaipur" in favour of lowest bidder M/s. Khilari Infrastructure Pvt. Ltd.	इस टेंडर का कार्यान्वयन अनुमोदन किया गया।	निदेशक (अभियान्त्रिकी तृतीय)
16.	235.16	Agenda note for Ex-Post-Facto approval of negotiation and tender for the work of "Engineering, Procuring, Construction, Commissioning (EPC) and Performance run followed by Ten years O&M of Sewerage Treatment Plant of 43 MLD capacity at Village Sanjhariya of Jaipur City based on "Sequential Batch Reactor (SBR) Technology" in favour of lowest bidder M/s. Khilari infrastructure Pvt. Ltd.	इस टेंडर का कार्यान्वयन अनुमोदन किया गया।	निदेशक (अभियान्त्रिकी तृतीय)
17.	235.17	Regarding splitting of Defect Liability Period of six lane ROB and Limited Height Subway under the work "Construction of ROB in lieu of LC-70, Sitapura, on Jaipur Sawaimadhopur Railway Line.	इस प्रकरण में सचिव जविप्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी है जिसमें निदेशक (विधि) / (आयोजना) / वित्त एवं अभियान्त्रिकी को सदस्य समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखेंगे।	निदेशक (अभियान्त्रिकी तृतीय)

18.	235.18	Agenda Note for Approval of Bid document for the work "Construction of Major Drain on Vandematram Road Muhana Mandl Road under master drainage. zone 8 and PRN (South) JDA, Jaipur."	इस टेंडर का कार्यान्वयन अनुमोदन किया गया।	निदेशक (अभियान्त्रिकी तृतीय)
19.	235.19	Regarding splitting of Defect Liability Period of four lane ROB and Limited Height Subway under the work "Construction of ROB in lieu of LC-200, Bassi, on Jaipur Delhi Railway Line.	इस प्रकरण में सचिव जविप्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी है जिसमें निदेशक (विधि) / (आयोजना) / वित्त एवं अभियान्त्रिकी को सदस्य समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखेंगे।	निदेशक (अभियान्त्रिकी तृतीय)
20.	235.20	प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों के रख-रखाव एवं संचालन बाबत सीनियर विकास समितियों को ही गोद दिए जाने की नीति निर्धारण बाबत।	जविप्रा द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक केन्द्र हैं। उनकी सूची तैयार कर प्रस्तुत की जावे तथा इनके रख-रखाव एवं संचालन बाबत गठित कमेटी की रिपोर्ट को आगामी कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्तुत किया जावे। मालवीय नगर सामुदायिक भवन को गोद देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	उपायुक्त जोन-1
21.	235.21	Appeal before the first Appellate authority in the matter of recovery for the following:- A. Compensation @2% equivalent to EMD Rs. 19,97,300/- imposed and debarred under SOP item no.21B. B. Penalty or Compensation imposed of Rs. 50 lakh as per RTPP Section 42(2) OF RTPP ACT, 2012.	सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 27.05.2019 के अनुसार भविष्य में ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही हेतु PWD के आदेश दिनांक 27.05.2019 से जेडीए में लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तुत अपील प्रकरण में उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (अभियान्त्रिकी चतुर्थ)

22.	235.22	Regasrding Ex-post facto approval for registration anf approval of Bid for the work "Construction and Development of Compound wall, steel railing, Fencing/ Gates, Footpath in Loha Mandi Scheme, JDA, Jaipur (Phase-1	एकल निविदा होने व दरे अधिक होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।	वन संरक्षक
23.	235.23	Apeal before the first appeallete Authority in the matter of recovery for the following: A. Compensation @2% equialant to EMD Rs. 8480191.70/- imposed and debarred under section 46 of RTPP Act 2013. B. Compensation imposed of fresh 50.00 lakh as per RTPP rule 42 (2) d of RTPP Act 2013.	सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 27.05.2019 के अनुसार भविष्य मे ऐसे प्रकरणों मे कार्यवाही हेतु PWD के आदेश दिनांक 27.05.2019 से जेडीए में लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तुत अपील प्रकरण मे उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (अभियान्त्रिकी- प्रथम)

3-142
(उज्ज्वल साहू)
सचिव
ग्राम विकास प्राधिकरण
जयपुर, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 235 वीं बैठक दिनांक 03.06.2022 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री रवि जैन, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारियों की उपस्थिति मंथन कक्ष/वेबेक्स माध्यम से निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री रवि जैन	जयपुर विकास आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री महेश तिवाड़ी	वन संरक्षक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री अशोक चौधरी	निदेशक (अभियान्त्रिकी प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री ओंकारमल राजोतिया	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री अयुब खान	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री विनय कुमार दलेला	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री जुगल किशोर मीणा	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
निम्न अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हुये।				
8.	श्री मनीष अरोड़ा	प्रबन्ध निदेशक	राज. पर्यटन विकास निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री अवधेश सिंह	संयुक्त शासन सचिव-तृतीय	नगरीय विकास विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री बीरबल सिंह	अति.कलेक्टर	कलेक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री रवि कुमार मेहरा	ई.एम.(सामान्य)ए.आर.एम	राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
12.	श्री अवधेश मीणा	आयुक्त	जयपुर नगर निगम (हेरिटेज), जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
13.	श्री सोहन राम चौधरी	उपायुक्त	जयपुर नगर निगम (ग्रेटर), जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
14.	श्री विशु विजय	सहायक अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
15.	श्री महेन्द्र माथुर	निदेशक (अभियान्त्रिकी द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री अजय गर्ग	अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्रीमती पुष्पा जैन	संयुक्त आयुक्त (आर.एम.एण्ड.सी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्रीमती अंजु वर्मा	उपायुक्त (प्रशासन/स्टोर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री प्रेमलता गुप्ता	उपायुक्त (आर.एम.एण्ड.सी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री सुरेंद्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन - 1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्रीमती निशा	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री नानू राम सैनी	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री मान सिंह	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
25	श्री राजेश सक्सेना	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26	श्री मोहन लाल मीणा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27	श्री वेद प्रकाश वर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28	श्री संजीव कुमार जैन	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- तृतीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29	श्री अरुण शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30	श्री सुनील शुक्ला	अधीक्षण अभियन्ता-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
31	श्री भवैरू खान	अधीक्षण अभियन्ता-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
32	श्री बहादुर सिंह	अधिशायी अभियन्ता(आरओबी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
33	श्री अविनाश शर्मा	अधिशायी अभियन्ता - 13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
34	श्री सपन मिश्रा	अधिशायी अभियन्ता (मुख्यालय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
35	श्री एस.आर. पारीक	अधिशायी अभियन्ता (पी.एच.ई-1)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
36	श्री संजय व्यास	अधिशायी अभियन्ता (उद्यान-11)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
37	श्री सर्वेन्द्र विक्रम सिंह	अधिशायी अभियन्ता (ट्रेफिक वर्क्स-111)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
38	श्री एल.एन. मित्तल	अधिशायी अभियन्ता (प्रोजेक्ट-11)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
39	श्री विनोद कृष्णया	अधिशायी अभियन्ता -6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
40	श्री सुरेश दत्त माथुर	अधिशायी अभियन्ता (ड्रेनेज)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
41	श्री नितिन गुप्ता	अधिशायी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
42	श्री नवल किशोर मीणा	उप निदेशक (जनसम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
43	श्री अरुण सिंह	सहायक नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
44	श्री भोम सिंह शेखावाटी	सहायक लेखाधिकारी (स्टोर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

2-11-2020
(उज्ज्वल रावत)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.235)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2022/डी- 168

दिनांक: 13, 6, 2022

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
5	आयुक्त, ग्रेटर/हैरिटेज	जयपुर नगर निगम, जयपुर।
6	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
7	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
9	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
10	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
13	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
14	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	उप-निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(उज्जवल राठौड़)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:प.2(ई.सी.235)/जविप्रा/जे.सी(एस.एम/2022/डी- 214

दिनांक: 22-7-22

शुद्धि-पत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 235 वीं बैठक दिनांक 03.06.2022 का कार्यवाही विवरण क्रमांक: प.2(ई.सी.235)/जविप्रा/जे.सी(एस.एम/2022/डी-168 दिनांक:13.06.2022 से जारी किया गया हैं। कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या: 235.20 में समिति का निर्णय "जविप्रा द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक केन्द्र हैं। उनकी सूची तैयार कर प्रस्तुत की जावे तथा इनके रख-रखाव एवं संचालन बाबत गठित कमेटी की रिपोर्ट को आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जावे। मालवीय नगर सामुदायिक भवन को गोद देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया" लिखा गया है।

उक्त एजेण्डा उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों के रख-रखाव एवं संचालन बाबत सीनियर विकास समितियों को ही गोद दिये जाने की नीति-निर्धारण बाबत विषय में प्रस्तुत करते हुए जनता कॉलोनी सामुदायिक भवन का महावीर इन्टरनेशनल वसुधा स्थानीय विकास समिति को दिया जाना प्रस्तावित था। जिस पर समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सामुदायिक भवन गोद दिये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु त्रुटिवश जनता कॉलोनी सामुदायिक भवन के स्थान पर मालवीय नगर सामुदायिक भवन टंकित हुआ है।

अतः बैठक के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या 235.20 के निर्णय में "मालवीय नगर सामुदायिक भवन को गोद देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया" के स्थान पर "जनता कॉलोनी सामुदायिक केन्द्र को महावीर इन्टरनेशनल वसुधा स्थानीय विकास समिति को गोद देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया" पढ़ा जावे। आयुक्त महोदय से पुष्ट है।

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक,माननीय मंत्री महोदय,नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,राज.सरकार जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव,नगरीय विकास विभाग, राज.सरकार जयपुर।
3. आयुक्त,जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,रीको लि.,जयपुर।
5. आयुक्त ग्रेटर/हैरिटेज,जयपुर नगर निगम, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
9. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय),पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
10. सचिव, जविप्रा,जयपुर।
11. मुख्य अभिन्यता,सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. मुख्य अभिन्यता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
13. मुख्य अभियन्ता,जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
14. निदेशक(विधि),जविप्रा,जयपुर।
15. निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ),जविप्रा,जयपुर।
16. निदेशक (नगर आयेजना),जविप्रा,जयपुर।
17. निदेशक (वित्त),जविप्रा,जयपुर।
18. अतिरिक्तआयुक्त,(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुर्नवास/एल.पी.सी/भूमि/पी.आर.एन),जविप्रा जयपुर।
19. उपायुक्त जोन.....,जविप्रा, जयपुर।
20. सिस्टम एनालिस्ट,जविप्रा, जयपुर।
21. उप-निदेशक (जन-सम्पर्क),जविप्रा,जयपुर।

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव,